रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236895
CG-DL-E-29062022-236895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]	**नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/ आषाढ़ 6, 1944**
No. 456]	**NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2022

सा.का.नि. 477(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5के उप- नियम (3) के तहत यथा अपेक्षित,निम्नलिखित मसौदा नियम,इससे प्रभावित होने की संभावना वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है। और एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़ अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल mscb.cpcb@nic.inऔर sonu.singh@gov.inपर लिखित रूप में भेज सकता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में अनुसूची-I में, क्रमांक 70 की प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

क्र. सं.	उद्योग	मापदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
70	बॉयलर (भाप उत्पादन क्षमता, टन/घंटा) • 2 से कम • 2 से 10 से कम तक • 10 और अधिक	विविक्त कण(पीएम) उत्सर्जन (मिलीग्राम प्रति घन मीटर)	500 मिलीग्राम प्रति घन मीटर 150 मिलीग्राम प्रति घन मीटर 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर

टिप्पणियाँ :

i. न्यूनतम स्टैक ऊंचाई (मीटर में) इस सूत्र के अनुसार होगी:

H = 14Q0.3 (जहां Q =SO_2 उत्सर्जन दर किलोग्राम/घंटा में है) या

H = 74Q0.27 (जहां Q = पीएम उत्सर्जन दर टन/घंटा में है) इनमें से जो भी अधिक हो।

हालांकि, किसी भी स्थिति में <2 टन/घंटा भाप उत्पादन क्षमता वाले बॉयलरों के लिए स्टैक की ऊंचाई 11 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक भाप उत्पादन क्षमता वाले बॉयलरों के लिए 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. PM(पीएम), SO_2 और NOx की मापित मान को ठोस ईंधनों के लिए 6% O_2 पर और तरल ईंधनों के लिए 3% O_2 पर, शुष्क आधार पर, उपरोक्त मानकों के साथ तुलना करने के लिए निम्नानुसार सामान्यीकृत किया जाएगा:

सामान्यीकृत मान = मापित मान x [(21- रेफO_2, 6 या 3% पर)/(21 –% में मापितO_2)]

iii. सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार 10 टीपीएच या अधिक भाप उत्पादन क्षमता वाले बॉयलर PM (पीएम) और SO_2के लिए प्रोसेस स्टैक पर निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सीईएमएस) स्थापित करेंगे।

iv. ये मानक कोयला/लिग्नाइट, पेट कोक, खोई/कृषि-ईंधन, और एफओ/एलडीओ/एलएसएचएस, और खोई/कृषि-ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों के बॉयलरों का उपयोग करने वाले औद्योगिक बॉयलरों के लिए हैं।जबकि, कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों के बॉयलरों के लिए दिनांक 7 दिसंबर, 2015 द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अधिसूचित उत्सर्जन मानक हीलागू होगें।

3. क्रमांक 59 और 97 की प्रविष्टियाँ हटा दी जाएँगी।

[फा. सं. क्यू-15017/2/2020-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या का.आ. 844(अ), दिनांक 19 नवम्बर, 1986 के तहत प्रकाशित किए गए थे और उन्हें अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 143(अ), दिनांक 22 फरवरी, 2022 द्वारा संशाधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 27th June, 2022

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in

writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

1. Short title and commencement.

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, the entry at serial number 70 shall be substituted by following entry: -

S. No.	Industry	Parameters	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
70	Boilers (Steam generation capacity, ton/hour) • Less than 2 • 2 to less than 10 • 10 and above	Particulate Matter (PM) Emission (mg/Nm3)	 500 mg/Nm3 150 mg/Nm3 50 mg/Nm3

Notes:

i. Minimum stack height (in meter) shall be as per the formula:

H=14Q0.3 (where Q is SO2 emission rate in kg/hr) or

H=74Q0.27 (where Q is PM emission rate in tonne/hr) whichever is more.

However, in no case the stack height shall be less than 11 m for boilers of < 2 ton/hour steam generation capacity and 30 m for boilers of higher steam generation capacity.

ii. Measured values of PM, SO2 and NOx to be normalised at 6% O2 for solid fuels and at 3% O2 for liquid fuels, on dry basis, for comparing with above standards, as below:

Normalized value = Measured value x [(21- Ref O2 at 6 or 3 %) / (21 - measured O2 in %)]

iii. Boilers of 10 TPH or more steam generation capacity shall install continuous emission monitoring system (CEMS) at process stacks for PM and SO2 as per CPCB's guidelines.

iv. These standards are for industrial boilers using coal/lignite, pet coke, bagasse/agro-fuels, and FO/LDO/LSHS, and boilers of bagasse/agro-fuels based power plants. Whereas, for boilers of coal/lignite based power plants the emission standards notified for thermal power plants vide notification no S.O. 3305 (E), dated 7th December, 2015 shall be applicable.

3. The entries at serial number 59 and 97 shall be deleted.

[F. No. Q-15017/2/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 143(E), dated the 22nd February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.06.29 15:58:42 +05'30'